

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 146/2022

निर्णय दिनांक :- 11.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 36 एच की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 06/06 के मुर्ब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टर व किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टर बाराणी भूमि को नहरी अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 11.07.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प बकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्युटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 11.07.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/392

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर